सुधार परिपत्र सं.3

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001
फैक्सः 23364197
ई-मेलः mplads@nic.in

फाइल सं.सी/23/2011-एमपीलैड्स

दिनांकः 15.06.2011

सेवा में,

आयुक्त,
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
जिला कलेक्टर/जिला न्यायाधीश/उपायुक्त

विषयः **वर्तमान एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों में संशोधन ।**

मंत्रालय को पिछले कुछ वर्षों से स्टेकहोल्डरों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हो रहे हैं । इन सुझावों के अलावा, एमपीलैड्स योजना के कार्यान्वयन के कार्यचालन अनुभव के आधार पर मंत्रालय का मानना है कि जमीनी स्तर पर लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए । पूरे देश में एमपीलैड्स निधियों का समय पर, तीव्रता से प्रभावी एवं लाभदायक रूप से व्यय सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों को व्यापक आधार पर, सरलीकृत एवं आसानी से कार्यान्वयन योग्य बनाए जाने का प्रस्ताव है । सांसदों को, एमपीलैड्स निधियों के अंतर्गत परियोजनाओं का अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए पात्र मदों की बास्किट को भी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है । परिणामस्वरूप भारत सरकार ने वर्तमान दिशा-निर्देशों के निम्नलिखित प्रावधानों में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया हैः-

(i) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 2-9 के स्थान पर यह प्रावधान होगाः

"यदि चयनित सांसद उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर एमपीलैड्स निधियों के अंशदान की आवश्यकता महसूस करे, तो सांसद इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख रूपए तक पात्र कार्यों की सिफारिश कर सकता है । सांसद द्वारा किया गया इस प्रकार का कार्य जमीनी स्तर पर लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा । ऐसे मामलों में नोडल जिला प्राधिकारी, दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उनको सौंपे गए समन्वय एवं अन्य कार्यों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे । संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी, जिससे निधियां प्राप्त की गई थीं, को इन कार्यों के लिए कार्य निष्पादन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र एवं लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ।"

(ii) एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के पैरा 4.15 के स्थान पर यह प्रावधान होगाः
"यदि कार्यान्वयन एजेंसी, सरकारी एजेंसी है तो जिला प्राधिकारी संस्वीकृत कार्य की अनुमानित लागत के 75% अग्रिम को प्रथम किस्त के रूप में और पर्याप्त प्रगति हो जाने के पश्चात् 25% की दूसरी किस्त को जारी करेगा ।"

सरकारी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे 2 लाख रुपए तक के सभी एमपीलैड कार्यों के मामले में संपूर्ण राशि को एक ही किस्त में अग्रिम के रूप में जारी कर दिया जाएगा । इस राशि से अधिक राशि के मामले में यदि राज्य सरकार के नियम 100% अग्रिम देने की अनुमति देते हैं तो वे एमपीलैड्स कार्यों पर भी लागू होंगे । एमपीलैड कार्यों के मामले में जहां उपभोक्ता एजेंसी या कार्यान्वयन एजेंसी प्राइवेट है, वहां जिला प्राधिकारियों को संस्वीकृत राशि की 60% निधि प्रथम किस्त के रूप में जारी करने का प्राधिकार है और 40% की शेष राशि को द्वितीय/तृतीय किस्त के रूप में निम्नानुसार जारी किया जाएगाः-

(क) 3/4 कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् 25% एवं

(ख) कार्यों के संतोषजनक ढ़ंग से पूर्ण हो जाने के पश्चात् अंतिम 15%

(iii) निम्नलिखित को वर्तमान दिशा-निर्देशों के नए पैरा सं.3.25 के रूप में शामिल किया जाएगाः-

पहले से अनुमत्य है कि सांसद की सिफारिश पर एमपीलैड निधियों से जिला प्राधिकारी/सीएमओ/जिला के सिविल सर्जन द्वारा एंबूलेंस/शव वाहन खरीदें जाएंगें । इसके अलावा अब प्राइवेट संगठनों के माध्यम से एंबूलेंस/शव वाहन सेवाओं के कार्य चालन को अनुमति प्रदान करने से कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, जो निम्नानुसार हैः-

(क) सांसद के प्रस्ताव पर सीएमओ/सिविल सर्जन/जिला न्यायधीश की सिफारिश से एंबूलेंस/शव वाहन खरीदे जाएंगे ।

(ख) खरीदे गए एंबूलेंस/शव वाहन पर स्वामित्व जिला प्राधिकारी/सीएमओ/सिविल सर्जन का रहेगा और वे सीएमओ/ सिविल सर्जन की आम निगरानी में रहेंगे । सीएमओ/सिविल सर्जन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के बाद प्रबंध संविदा के अंतर्गत और सीएमओ/सिविल सर्जन वाली 3 सदस्यों की समिति एवं जिला न्यायाधीश के दो अन्य प्रतिनिधियों की सिफारिश पर और जिला न्यायाधीश द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाने पर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के न्यासों/सोसाइटियों के लिए एक बार में दो वर्ष की अवधि के लिए कार्यचालन हेतु इसे आउटसोर्स कर सकते हैं ।

(ग) एंबूलेंस/शव वाहन का कार्यचालन करने वाली उक्त न्यास/सोसाइटी, अनुरक्षण, पीओएल तथा ड्राइवर के लिए उत्तरदायी होगा तथा जिला प्राधिकारी द्वारा (समिति की सिफारिश पर) उपभोक्ता प्रभार निर्धारित किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि निर्धारित प्रभार आम आदमी के लिए उचित एवं वहन किए जाने योग्य हैं ।

(घ) जनता के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु जिला कलेक्टर/उपायुक्त/जिला न्यायधीश द्वारा इन एंबूलेंस/शव वाहनों की सेवाओं की निगरानी की जाएगी ।

(ड.) खरीदे गए प्रत्येक एंबूलेंस/शव वाहन के दोनों तरफ बड़े अक्षरों में यह लिखा होगा कि: "भारत सरकार के एमपीलैड कोष से सांसद श्री----------द्वारा प्रदत्त धनराशि से खरीदी गई एंबूलेंस/शव वाहन"

(iv) पैरा 3.21 में वर्तमान प्रावधानों के भाग का संशोधन इस प्रकार होगाः

"किसी विशिष्ट सोसाइटी/न्यास के जीवनकाल में एक या अधिक कार्यों के लिए एमपीलैड निधि से 25 लाख रुपए से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है । यदि कोई सोसाइटी पहले से एमपीलैड्स

निधि से 25 लाख रुपए का लाभ प्राप्त कर चुकी है तो योजना के अंतर्गत उस सोसाइटी/न्यास के लिए और अधिक निधि की सिफारिश नहीं की जा सकती है । एक सांसद, सोसाइटियों/न्यासों के कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष में एमपीलैड निधियों से कुल मिलाकर केवल 50 लाख रुपए तक की निधि की सिफारिश कर सकता है ।"

(v) निम्नलिखित को वर्तमान दिशा-निर्देशों के पैरा 3.26 के रूप में शामिल किया जाएगाः-

किसी परियोजना या कार्य के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत संस्वीकृत न्यूनतम राशि 1 लाख रुपए से कम नहीं होनी चाहिए । तथापि, हैंड पम्पों, सोलर इलैक्ट्रिक लैम्पों, चौपालों एवं विभिन्न उपस्करों/उपकरणों/कम्प्यूटरों जैसे अपवादात्मक मामलों में यह कम हो सकती है ।

2. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए ।

3. इसे माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

पंकज जैन

(पंकज जैन)
अपर सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थः-

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स (सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र) से संबंधित नोडल विभागों के सचिव ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।